

(2)
ARYAVART FOUNDATION

- (iv) अगर विलेख/एसोसिएशन/ज़ापन/निधि/संस्थान/न्यास/ कम्पनी के नीति नियमों में जब भी कोई संशोधन हो तो सम्बन्धित निर्धारण अधिकारी को तुरंत सूचित किया जाए

Amendments if any made to the deed of statement/memorandum of Association/Rules Regulations of the Fund/Institution/Trust /Company are intimated to the concerned Assessing Officer, immediately whenever made.

- (v) आवेदक ने संकल्प और शपथ पत्र विघटन खंड की एक प्रति दायर की है ।

The applicant has filed a copy of resolution and affidavit regarding dissolution clause.

अतः यह प्रमाण-पत्र निम्न शर्त के आधार पर जारी किया जाता है ।

Therefore, this Certificate is issued subject to following condition:

न्यास/संस्थान/कम्पनी अपरिवर्तनीय होना चाहिए । हालांकि, कुछ कारणों से न्यास/ संस्थान/कम्पनी भंगीय है, उस स्थिति में सम्पत्ति किसी भी संस्थापक, मध्यस्थ, न्यासी, दाता अथवा सदस्य आदि को देय नहीं होगी किन्तु सम्पत्ति से सम्बन्धित दायित्व किसी अन्य न्यास/संस्थान/कम्पनी को स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन गुजरात जन न्यास अधिनियम/ कम्पनी अधिनियम उच्च न्यायालय के प्रावधान अनुसार I वह अन्य न्यास/ संस्थान/कम्पनी उसी तरह की क्रियाविधि में संलग्न होना चाहिए जैसा कि यह न्यास/संस्थान/कम्पनी ।

The Trust/Institution/Company should be irrevocable. However, for some reason trust is to be dissolved then no property would go to any founder, settler, trustee or donor, member etc but the properties after meeting liabilities would go to some other trust carrying on similar activity. The transfer of properties, if any, should be as per the provisions of Gujarat Public Trust Act / Companies Act/ High Court., with the permission of Charity Commissioner/.

- (vi) This certificate is issued vide registration no.

AAFTA8683E/131/17-18/T-1100/80G(5)/ Dated 10.08.2017.

Sd/-

(ANIL KUMAR)

आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
Commissioner of Income Tax (Exemptions),
Ahmadabad

प्रतिलिपि/Copy to :

- (i) The Applicant Trust
(ii) The Addl. CIT(Exemptions), Range-1, Ahmedabad.
(iii) The Addl. CIT(Exemptions), Range-2, Ahmedabad
(iv) The Guard File.



(PANKAJ JOSHI)

आयकर अधिकारी (मुख्यालय)(छूट),
Income tax Officer (HQ)(E),

कृते आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद

For Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmedabad

(2)

ARYAVART FOUNDATION

The trust/Company/ Institution should be irrevocable. However, for some reason trust/ company/Institution is to be dissolved then no property would go to any founder, settler, trustee or donor, member etc but the properties after meeting liabilities would go to some other trust/Company/Institution carrying on similar activities. The transfer of properties, if any, should be as per the provisions of Gujarat Public Trust Act /Company's Act/High Court.

मेरे द्वारा अहमदाबाद में दिनांक 10.08.2017 पंजीकरण नंबर AAFTA8683E/235/17-18/T-1970/12AA
Dated.10.08.2017 में जारी किया गया।

Given under my hand at Ahmadabad

Under registration no. AAFTA8683E/235/17-18/T-1970/12AA Dated.10.08.2017.

Sd/-

(ANIL KUMAR)

आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmadabad

प्रतिलिपि :

- (1) उक्त आवेदक को / Above Applicant
- (2) अपर आयकर आयुक्त (छूट) रेंज-1 अहमदाबाद
- (3) उप आयकर आयुक्त (छूट), रेंज-2, अहमदाबाद
- (4) गार्ड फाईल



(PANKAJ JOSHI)

आयकर अधिकारी (मुख्यालय)(छूट),
Income tax Officer (HQ)(E)
कृते आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद
For Commissioner of Income Tax (Exemptions), Ahmedabad



कार्यालय आयकर आयुक्त (छूट), अहमदाबाद

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX
(EXEMPTIONS), AHMEDABAD

प्रथम मंजिल, रूम नं १११-११२, एनेक्सी, आयकर भवन, आश्रम रोड, अहमदाबाद-३८०००९.

Room No. 111-112, Annexy, Aaykar Bhavan, Ashram Road, Ahmedabad

(Tele & Fax: 079-27540915)

फा.सं. आ.आयु(छू.)/12ए/235/2017-18

185

ता: 10.08.2017

पैन/PAN : AAFTA8683E

ट्रस्ट/कम्पनी का नाम/ Name of the :- ARYAVART FOUNDATION
Trust./Company SH No-50, Japan Market,
Ring Road,
Delhi Gate,
Surat-02.

ORDER UNDER SECTION 12AA OF THE INCOME TAX ACT, 1961 IN THE CASE OF
ARYAVART FOUNDATION

आर्यवर्त फ़ाउंडेशन के मामले में आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत आदेश

उक्त ट्रस्ट/संस्थान/कम्पनी ने दिनांक 15.05.2017 को फॉर्म सं 10ए में आवेदन किया है ट्रस्ट का गठन/ कम्पनी निर्माण दिनांक 28.10.2016 को हुआ है और ट्रस्ट/कम्पनी का चैरिटी कमिश्नर/ रैजिस्ट्रार ओफ कम्पनी के पास पंजीकरण दिनांक 28.10.2016 का हुआ है।

The above named Trust/Institution/Company has filed an application in Form No. 10A on Dt: 15.05.2017. Which has been created / constituted /registered on 28.10.2016 and registered with the Charity Commissioner / Registrar of Society/ Registrar of Company on 28.10.2016.

तदनुसार, ट्रस्ट/संस्थान/कम्पनी को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के तहत 15.05.2017 से पंजीकृत किया जाता है।

Accordingly, the Trust/Institution/Company has been registered u/s. 12AA of the I.T. Act 1961, with effect from 15.05.2017 (i.e. F.Y.-2017-18 and A.Y. 2018-2019)

इस प्रमाण पत्र द्वारा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अंतर्गत केवल पंजीकरण किया गया है इससे धारा 11, 12 व 13 या आयकर अधिनियम 1961 के अन्य उपबन्धों के संचालन का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इनके बारे में निर्धारण अधिकारी योग्यता के आधार पर निर्णय लेगा।

This certificate testifies to the fact of registration u/s. 12AA of the I. T. Act, 1961 only. It does not confer any right or entitlement regarding operation of Sections 11, 12, & 13 or any other provisions of the IT Act, 1961 which is to be decided by the Assessing Officer on merits.

आवेदक ने विघटन खंड के लिए संकल्प की एक प्रति एवं शपथपत्र दाखिल किया है।

The applicant has filed a copy of resolution and affidavit regarding dissolution clause.

अतः यह प्रमाण-पत्र निम्न शर्त के आधार पर जारी किया जाता है।

Therefore, this Certificate is issued subject to following condition:

न्यास/ कम्पनी अपरिवर्तनीय होना चाहिए। हालांकि, कुछ कारणों से न्यास/कम्पनी भंगीय है, उस स्थिति में सम्पत्ति किसी भी संस्थापक, मध्यस्थ, न्यासी, दाता अथवा सदस्य आदि को देय नहीं होगी किन्तु सम्पत्ति से सम्बन्धित दायित्व किसी अन्य न्यास/कम्पनी को स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन गुजरात जन न्यास अधिनियम/ कम्पनी अधिनियम /उच्च न्यायालय के प्रावधान अनुसार वह अन्य न्यास/कम्पनी उसी तरह की क्रियाविधि में संलग्न होना चाहिए जैसा कि यह न्यास/कम्पनी.

